अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में आयोजित प्रिट कार्यकारिणी समिति की अष्ठम् बैठक दिनांक 16.05.2023 का कार्यवृत

दिनांक 16.05.2023 को अपराह्न 02:00 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) कार्यकारिणी समिति की अष्ठम् बैठक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन आयुक्त सभाकक्ष, उ0प्र0 सचिवालय में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	अपर मुख्य सचिव /अध्यक्ष, प्रिट	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2.	श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय	निदेशक/उपाध्यक्ष, प्रिट एवं निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।	पंचायती राज, उ0प्र0।
3.	श्री आशुतोष निरंजन	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	प्रतिनिधि नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.	श्री धर्मेन्द्र मिश्रा	अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री सुशील कुमार गुप्ता	निदेशक	पंचायती राज लेखा, उ0प्र0।
6.	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	संयुक्त निदेशक, 'प्रिट' एवं उपनिदेशक (पं0)	पंचायती राज, उ0प्र0।
7.	डॉ0 सुरेश सिंह	उपनिदेशक	प्रतिनिधि महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
8.	श्री प्रदीप कुमार	वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0।
9.	श्री सुमित कुमार	अधिशासी अभियंता	प्रतिनिधि, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड—वाराणसी, आजमगढ़।
10.	श्री मनोज कुमार	अधिशासी अभियंता	प्रतिनिधि, यू.पी.सिडको, कानपुर।

सम्यक् विचारोपरान्त मा0 समिति द्वारा बिन्दुवार निम्नवत् निर्णय लिए गयेः–

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
01	प्रिट कार्यकारिणी समिति की गत बैठक दिनांक 22.02.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।	मा0 समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 22.02.2022 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया तथा गत बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन से समिति अवगत हुई। गत बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या–01 पर हाउसकीपिंग एजेन्सी चयन तथा बिन्दु संख्या–09 पर एच.आर. पॉलिसी सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।
02	वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन।	मा0 समिति वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत उपनिदेशक (पं0), जिला पंचायत राज अधिकारियों, अपर जिला पंचायत राज अधिकारियों, कंसल्टेन्ट व एस.आर.जी. सदस्यों का ओ.डी.एफ प्लस विषय पर प्रिट एवं एस.बी.एम.(जी) के सहयोग से करायी गयी बुलन्दशहर के ग्राम पंचायतों की एक्सपोजर विजिट एवं प्रशिक्षण से अवगत हुई तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / एक्सपोजर विजिट का अनुमोदन प्रदान किया गया।
03	वर्ष 2023–24 हेतु प्रिट की कार्ययोजना का अनुमोदन।	मा0 समिति अवगत हुई तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तुत प्रिट की कार्ययोजना में उल्लिखित 2,96,083 प्रतिभागियों का प्रिट मुख्यालय / जनपद / डी.पी.आर.सी. स्तर पर प्रशिक्षण तथा कुछ प्रतिभागियों को प्रदेश /अन्तर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट का अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब तथा मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों की जिन ग्राम पंचायत में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट प्रबंधन एवं ग्राम पंचायत सचिवालय के कुशल संचालन के सम्बन्ध में बेहतर कार्य किया गया हो, उन स्थानों पर अधिकारियों एवं निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सपोजर विजिट कराया जाए। विशेष रूप से महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत हिवरे बाजार तथा पंजाब की ग्राम पंचायत सींचेवाल का कम से कम 100 प्रधानों की एक्पोजर विजिट कराने के निर्देश दिये गये।
04	वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त एवं व्यय धनराशि के अनुमोदन पर विचार।	मा0 समिति अवगत हुई तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नवत् प्राप्त एवं व्यय धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्ष 2023–24 में प्राप्त होने वाले सम्भावित बजट एवं अवशेष धनराशि को मिलाकर तैयार

Q/

<table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
कार्ययोजना में प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट पर अनुमानित व्यय रु0 65.00 करोड़ का भी अनुमोदन प्रदान किया गयाः—

(धनराशि करोड़ में)

<table>
<tr><th>गत वर्ष का अवशेष (01 अप्रैल, 2022 को)</th><th colspan="3">प्राप्तियां</th></tr>
<tr><th></th><th>राज्य वित्त आयोग</th><th>अन्य</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>68.91 Cr. (SFC-20.22Cr. +RGSA 48.68Cr.)</td><td>9.50 Cr.</td><td>3.35 Cr.</td><td>12.86 Cr.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="7">व्यय</th></tr>
<tr><th>वेतन/मानदेय मद पर व्यय</th><th>कार्यालय मद पर व्यय</th><th>विद्युत/अनुरक्षण मद पर व्यय</th><th>राज्य वित्त आयोग से प्रशिक्षण पर व्यय</th><th>आर0जी0एस0ए0 से प्रशिक्षण पर व्यय</th><th>विविध व्यय</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>0.62 Cr.</td><td>0.40 Cr.</td><td>0.49 Cr.</td><td>3.20 Cr.</td><td>17.11 Cr.</td><td>0.07 Cr.</td><td>21.93 Cr.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">दिनांक 31.03.2023 की अवशेष धनराशि</td><td>59.84 Cr.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">वित्तीय वर्ष 2023—24 में अनुमानित प्राप्तियां</td><td>राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि</td><td>11.50 Cr.</td></tr>
<tr><td>बैंक से प्राप्त ब्याज की धनराशि</td><td>2.50 Cr.</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल योग</td><td>73.84 Cr.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">वित्तीय वर्ष 2023—24 में अनुमानित व्यय</td><td>प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं एक्सपोजर विजिट पर व्यय</td><td>65.00 Cr.</td></tr>
<tr><td>कर्मचारियों के वेतन पर व्यय</td><td>1.10 Cr.</td></tr>
<tr><td>कार्यालय व्यय</td><td>2.74 Cr.</td></tr>
<tr><td>अनुरक्षण/विद्युत व्यय</td><td>5.00 Cr.</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल योग</td><td>73.84 Cr.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>05</td><td>जनपद बलिया व कन्नौज में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाना।</td><td>मा0 समिति अवगत हुई। मा0 अध्यक्ष महोदय ने जनपद बलिया में क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण के भवन को शीघ्र हैण्डओवर किये जाने तथा जनपद कन्नौज में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।</td></tr>
<tr><td>06</td><td>आउटसोर्सिंग के सृजित सिस्टम मैनेजर (आई.टी.) के पदों के मानदेय में की गयी वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</td><td>मा0 समिति अवगत हुई तथा सिस्टम मैनेजर (आई.टी.) के पदों का मासिक मानदेय रु0 50,000/— का अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>07</td><td>ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म सर्वर हेतु वर्ष 2022—23 में व्यय के लिए स्वीकृत धनराशि रु0 12.00 लाख प्रतिवर्ष के स्थान पर रु0 14.93 लाख प्रतिवर्ष की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</td><td>मा0 समिति द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म सर्वर के लिए वार्षिक व्यय हेतु गत बैठक में रु0 12.00 लाख अनुमोदित किया गया था किन्तु शासकीय तकनीकी एजेन्सी से इस कार्य हेतु वार्षिक व्यय की धनराशि रु0—14,93,293.20 का न्यूनतम प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः अन्तर की धनराशि रु0 2,93,293.20 की स्वीकृति मा0 समिति द्वारा प्रदान की गयी तथा उक्त सर्वर की उपलब्धता आगे भी शासकीय तकनीकी एजेन्सी अथवा</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>जेम जो भी कम हो से लिये जाने पर इस वर्ष (2023–24) में होने वाले व्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>08</td><td>आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत नई गाइड लाईन दिनांक 26.04.2022 के अन्तर्गत प्रशिक्षण/कार्यशाला हेतु निर्धारित नवीन दर के अनुसार प्रिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव।</td><td>मा0 समिति द्वारा आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत नई गाइड लाइंस दिनांक 26.04.2022 के अन्तर्गत प्रशिक्षण/ कार्यशाला हेतु राज्य स्तर पर रु0 2500/– जिला स्तर पर रु0 1500/– तथा ब्लॉक स्तर पर रु0 1000/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से एवं एक्सपोजर विजिट हेतु राज्य के अन्दर रु0 3500/– तथा राज्य के बाहर रु0 5000/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन के अन्तर्गत व्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>09</td><td>सूइट, डॉरमैट्री, कम्प्यूटर लैब व अतिथि गृह के किराये को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव।</td><td>मा0 समिति अवगत हुई तथा सूइट, डॉरमैट्री, कम्प्यूटर लैब व अतिथि गृह के नयी किराये की दरों का निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>सरकारी कार्यक्रम हेतु दरें</th><th>निजी कार्यक्रम हेतु दरें</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ट्रेनिंग हॉल</td><td>रु0 5,000/– प्रतिदिन</td><td>रु0 7,000/– प्रतिदिन</td></tr>
<tr><td>2</td><td>हॉस्टल (01 सूइट का किराया)</td><td>रु0 1,500/– प्रतिदिन</td><td>रु0 2,000/– प्रतिदिन</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस (01 सूइट का किराया)</td><td>रु0 2,000/– प्रतिदिन</td><td>रु0 3,000/– प्रतिदिन</td></tr>
<tr><td>4</td><td>डॉरमेट्री</td><td>रु0 400/– प्रति बेड प्रतिदिन</td><td>रु0 500/– प्रति बेड प्रतिदिन</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कम्प्यूटर लैब (50 कम्प्यूटर)</td><td colspan="2">रु0 400/– प्रति कम्प्यूटर प्रतिदिन</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के आदेश संख्या–958–65 प्रवर्तन–(एम0 डब्लू0)/15 दिनांक 30.09.2022 के क्रम में अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के कर्मचारियों के मानदेय (मजदूरी) में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</td><td>मा0 समिति अवगत हुई तथा आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कुशल श्रेणी के इलेक्ट्रीशियन व प्लम्बर के पद का मानदेय (मजदूरी) रु0 12,432/– एवं अर्द्धकुशल श्रेणी के पद का मानदेय (मजदूरी) रु0 11,098/– तथा अकुशल श्रेणी के पद का मानदेय (मजदूरी) रु0 10,089/– प्रतिमाह का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि परिवर्तनीय छमाही मंहगाई भत्ता सम्बन्धी श्रम आयुक्त उ0प्र0 के आदेश के अनुसार समय–समय पर कर्मचारियों के मानदेय (मजदूरी) में वृद्धि किया जाए।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>11</td><td>जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी.) के संचालन हेतु अतिरिक्त धनराशि तथा क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, लोहिया भवन, अम्बेडकरनगर, एवं क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, बलिया एवं कन्नौज के संचालन हेतु समिति का गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</td><td>मा0 समिति अवगत हुई तथा क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, लोहिया भवन, अम्बेडकरनगर तथा क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, बलिया एवं कन्नौज के संचालन हेतु क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण समिति का गठन निम्ननवत् किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गयाः–
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पदनाम</th><th>स्थिति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>निदेशक / उपाध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0।</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संयुक्त निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0।</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>उपनिदेशक (पं0) / नोडल अधिकारी, वित्त आयोग।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सम्बन्धित मण्डल के उपनिदेशक (पं0)।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी।</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
उपर्युक्तानुसार गठित समिति तीनों आर.पी.आर.सी. के संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा उक्त पर व्यय होने वाली धनराशि सम्बन्धी समस्त कार्य करेगी। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा इस समिति के गठन सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु शासन से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया।
उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक डी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु आर.जी.एस.ए. योजना के अतिरिक्त रु0 05.00 लाख प्रतिवर्ष तथा आर.पी.आर.सी. के संचालन हेतु रु0 10.00 लाख प्रतिवर्ष उनकी मॉग पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) से प्रदान करने हेतु मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी.) को प्रदान की गयी धनराशि के सापेक्ष प्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्र में दर्शायी गयी अवशेष धनराशि का उपयोग अन्य प्रशिक्षणों</td><td>मा0 समिति अवगत हुई तथा 03 जनपदों में स्थापित क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान तथा 25 जनपदों में स्थापित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर्स (डी.पी.आर.सी.) को प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु समय–समय पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा प्रदान की गयी धनराशि के सापेक्ष प्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्र में दर्शायी गयी अवशेष धनराशि का उपयोग अन्य प्रशिक्षणों / कार्यों पर करने हेतु निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की</td></tr>
</table>

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	/कार्यों में करने हेतु निदेशक, 'प्रिट' को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	गयी।
13	प्रशिक्षण हेतु प्रतिभाग करने वाले पंचायत पदाधिकारियो /प्रतिनिधियों तथा नियत वेतन पर कार्यरत कार्मिकों को यात्रा व्यय का भुगतान हेतु दरों के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव।	मा0 समिति अवगत हुई तथा प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने वाले जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य व जनपद/मण्डल स्तर के कंसल्टेन्ट को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सर्कुलर संख्या–90 सी.एस.सी./23–294 सी.एस.सी. /90 दिनांक 06 फरवरी, 2023 के अनुसार जनरथ 3X2 बस का किराया 163.86 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से तथा पंचायत सहायक, खण्ड प्रेरक आदि को साधारण बस का किराया 130.00 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से उनके जनपद से प्रशिक्षण स्थल तक आने एवं वापसी तथा उक्त समस्त प्रतिभागियों को स्थानीय कन्वेंस हेतु रू0 200/– (फिक्स धनराशि) की दर से भुगतान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
14	प्रशिक्षणार्थियों की आकस्मिक चिकित्सा हेतु मासिक फीस पर एम.बी. बी.एस., डिग्री धारक (जनरल फिजीशियन) एक चिकित्सक की फुल/पार्ट टाइम सेवाएं लिये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 समिति अवगत हुई तथा इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
15	पंचायती राज विशेषज्ञ एवं ग्राम विकास विशेषज्ञ तथा आर.जी.एस.ए. योजना न्तर्गत प्रिट हेतु फैकल्टी के एक–एक पदों पर तैनाती किये जाने संबंधी प्रस्ताव।	मा0 समिति अवगत हुई तथा आउटसोर्सिंग के पंचायती राज विशेषज्ञ एवं ग्राम विकास विशेषज्ञ के पदों का मानदेय आर.जी.एस.ए. योजना में कार्यरत सोशल कंसल्टेन्ट की भांति रु0 70,000/– प्रतिमाह निर्धारित किये जाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और अधिक गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से पंचायती राज विशेषज्ञ व ग्राम विकास विशेषज्ञ एवं आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत प्रिट हेतु फैकल्टी के रिक्त एक–एक पद पर राज्य स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराकर चयन करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। पंचायती राज विशेषज्ञ तथा ग्राम विकास विशेषज्ञ के पदों की अर्हता इन पदों उच्चीकरण हेतु शासन को भेजे गये प्रस्ताव के अनुरूप रखी जाए।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
16	प्रशिक्षण भवन में स्थित सूईट, डॉरमेट्री, कार्यालय तथा कम्प्यूटर लैब में स्प्लिट ए.सी. लगवाने के संबंध में प्रस्ताव।	मा0 समिति अवगत हुई तथा प्रशिक्षण भवन में स्थित 16 सूइट प्रत्येक में 1.5 टन का एक ए.सी., 13 डॉरमेट्री प्रत्येक में 1.5 टन के दो–दो ए.सी., प्रिट कार्यालय में दो टन का एक ए.सी. तथा कम्प्यूटर लैब में दो टन के दो ए.सी. जेम पोर्टल पर टेण्डर के माध्यम से क्रय कर लगवाये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
17	अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	–

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

Manoj 24.5.23

(प्रवीणा चौधरी)
संयुक्त निदेशक/सचिव,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक/उपाध्यक्ष,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)।

संख्या–प्रिट/ 175/2023–3/72/2019 दिनांक- 24मई, 2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग/नियोजन विभाग/वित्त विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
3. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज लेखा, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

(प्रवीणा चौधरी)
संयुक्त निदेशक/सचिव,
'प्रिट'